

उपरोक्त अधिकांश  
संख्या (लिखें)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7  
व आदेश 9 नियम 13 जा. दी. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने  
कारण खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर  
शामिल मूल पत्रावली रहे।  
आदेश आज दिनांक 11-02-2021 को लिखाया जाकर  
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आदेश

के लिये स्वतंत्र है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अन्य विकल्प  
भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  
आदेश 9 नियम 13 जा. दी. स्वीकार करना उचित नहीं समझते  
हैं।

स. सं.

कानून

सिद्धिपट्टी के अधीन

परीक्षा